न्यूज़ टुडे

भारत–ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक संपन्न हुई

- यह बैठक भारत–ऑस्ट्रेलिया के मध्य **प्रथम 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता थी।**
  - **2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद** के अंतर्गत विदेश तथा रक्षा मंत्रियों के मध्य वार्ता संपन्न होती है। यह दोनों देशों के मध्य **सामरिक सहयोग का विस्तार करने के समग्र लक्ष्य के हिस्से के रूप में** स्थापित की गई है।
  - अब तक भारत ने **अमेरिका तथा जापान** के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की है।
  - इस वर्ष के आरंभ में, **भारत और रूस** भी इसी प्रकार की 2+2 वार्ता आयोजित करने हेतु सहमत हुए थे।
- **2+2 वार्ता का महत्व**
  - **क्वाड समूह को प्रोत्साहनः** दोनों पक्षों ने ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य चतुष्पक्षीय सहयोग (Quadrilateral cooperation) हेतु अपनी प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की।
    - **स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद–प्रशांत क्षेत्र** के लिए चतुष्पक्षीय (क्वाड) समूह का एक साझा दृष्टिकोण है तथा यह **अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित है।**
  - **भारत–ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करनाः** दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की तथा सशस्त्र बलों के मध्य संलग्नता में वृद्धि करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की।
    - विगत वर्ष जून माह में, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने संबंधों को **व्यापक रणनीतिक साझेदारी** तक विस्तार प्रदान किया था। साथ ही, **रसद समर्थन हेतु सैन्य अड्डों तक पारस्परिक पहुंच** के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे।
  - **वार्ता में व्यापार के मुक्त प्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं मानदंडों का अनुपालन तथा संपूर्ण क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास** सुनिश्चित करने पर बल दिया गया था।

वित्त मंत्री ने जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास को आयकर भुगतान से छूट प्रदान करने की घोषणा की है

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा 14 अन्य जिला खनिज प्रतिष्ठान (District Mineral Foundation: DMF) न्यासों को आयकर के भुगतान से छूट प्रदान की है। छूट प्राप्त करने वाले ऐसे DMFs की कुल संख्या अब 165 हो गई है।
  - DMF के अंतर्गत **संग्रह के साथ–साथ अर्जित ब्याज पर भी छूट** प्रदान की जाएगी।
  - यह छूट उस स्थिति में उपलब्ध होगी, जब न्यास किसी भी **व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा।**
- **महत्वः** न्यास के पास अधिक निधि उपलब्धता और बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा परिणाम–उन्मुख गतिविधियां संचालित करना।
- इससे पूर्व, **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021** ने केंद्र सरकार को **DMF के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार दिया था।** बाद में, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थेः
  - DMF द्वारा निधियों के उपयोग के संबंध में नियमों का कठोर अनुपालन;
  - DMF से कोई भी फंड **राज्य की निधि या राज्य स्तरीय कोष** (चाहे किसी भी नाम से हो) या **मुख्यमंत्री राहत कोष या किसी अन्य कोष अथवा योजनाओं** में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा; तथा

  राज्य सरकार या किसी राज्य स्तरीय एजेंसी द्वारा राज्य स्तर पर **DMF की निधि में से किसी भी व्यय को कोई स्वीकृति या अनुमोदन प्रदान नहीं** किया जाएगा।

- **जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) के बारे में**
  - DMF, खनन संबंधी गतिविधियों से प्रभावित किसी भी जिले में एक **अलाभकारी निकाय के रूप में एक न्यास है।**
  - इसे **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015** के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है और यह **खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है।**
  - निधि में **पट्टा धारकों द्वारा योगदान,** विलंबित भुगतान के लिए पट्टा धारकों से प्राप्त ब्याज, पट्टा धारक पर आरोपित कोई दंड, निधि पर अर्जित ब्याज से प्राप्त आय, बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज और सावधि जमा में निवेश की गई अतिरिक्त निधि पर प्राप्त ब्याज शामिल है।
  - **देश के 22 राज्यों के 600 जिलों में DMF** स्थापित किए गए हैं, जिन्होंने DMF संबंधी नियम अधिसूचित किए हैं।

उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि विधिविरुद्ध क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act: UAPA) के तहत न्यायाधीश जांच अवधि नहीं बढ़ा सकते हैं

- न्यायालय ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि **केवल विधि विरुद्ध क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA की धारा 43D) के तहत नामित एक विशेष न्यायालय ही आरोप–पत्र दाखिल करने के लिए समय विस्तार के मुद्दे का निवारण करने हेतु अधिकृत होगा। अन्य न्यायाधीश समय विस्तार के ऐसे मामलों के निवारण के लिए प्राधिकृत नहीं है।**
  - उच्चतम न्यायालय ने **बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद, 2020** में भी ऐसा ही निर्णय दिया था।
  - विशेष न्यायालयों को **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम** (National Investigation Agency Act) के तहत और ऐसे विशेष न्यायालयों की अनुपस्थिति में **सत्र न्यायालयों के साथ** स्थापित किया जाता है।
- UAPA भारत का प्रमुख आतंकवाद–रोधी कानून है। **इसके अंतर्गत 90 दिनों के भीतर जांच प्रक्रिया पूर्ण किए जाने का प्रावधान किया गया है।** यदि ऐसा करने में सफल नहीं हुए, तो आरोपी, चूक जमानत (default bail) का पात्र हो जाता है।
- **UAPA, 1967 के प्रमुख प्रावधान (वर्ष 2019 में संशोधित)**
  - केंद्र किसी संगठन या व्यक्ति को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकता है।
  - **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के महानिदेशक** को संपत्ति की जब्ती या कुर्की की स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान करता है।
  - आतंकवाद के मामलों की जांच के लिए NIA के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को अधिकार प्रदान करता है।
- **UAPA के तहत दोषसिद्धि की दर अत्यंत कम है।** वर्ष 2016 और वर्ष 2019 के मध्य UAPA के तहत दर्ज किए गए मामलों में से **केवल 2.2%** मामलों में ही अभियुक्तों को न्यायालयों द्वारा दोष सिद्ध घोषित किया गया था।

वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति (PSC) ने घरेलू निर्यातकों की सहायता हेतु अमेरिका व यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) करने की अनुशंसा की है

- **मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement: FTA)** दो या दो से अधिक देशों के मध्य आयात और निर्यात में बाधाओं के उन्मूलन हेतु किया गया एक समझौता होता है। (इन्फोग्राफिक्स देखें)।
- **वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा रेखांकित की गई प्रमुख चिंताएं:**
  - **वर्ष 2020 में (-) 15.73% की नकारात्मक वृद्धि दर** दर्ज करते हुए वर्ष 2019–20 से भारत का निर्यात संकुचित हुआ है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के देशों के साथ कोई **FTA कार्यशील नहीं होने के कारण** अन्य निर्यातक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में भारतीय घरेलू निर्यातक घाटे में हैं।
  - **रेल मंत्रालय** निर्यात खेप के परिवहन के लिए प्रतिस्पर्धी माल ढुलाई दर प्रदान करने में असमर्थ है।
    - ❖ इससे वैश्विक बाजारों में भारत के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।
- **मुख्य अनुशंसाएं:**
  - भारत को वर्तमान मंदी की स्थिति से उबरने तथा वैश्विक निर्यात में अपनी हिस्सेदारी में वृद्धि करने के लिए निर्यात संवर्धन, अपने निर्यात बास्केट के विस्तार तथा नए निर्यात बाजारों में प्रवेश करने हेतु अपने प्रयासों में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है।
  - अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ FTA करने के समक्ष मौजूद अवरोधक मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए।
  - **माल ढुलाई में रेल की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए** रेल मंत्रालय को सुदृढ़ प्रयास करने चाहिए।
    - ❖ सड़क की तुलना में रेल माल ढुलाई का हिस्सा केवल 35% है, जबकि विकसित देशों में यह प्रवृत्ति विपरीत है।

व्यापारिक संबंध

मौजूदा समझौते		मौजूदा समझौते
सिंगापुर	जापान	ऑस्ट्रेलिया
थाईलैंड	अफ़ग़ानिस्तान	यूरोपीय संघ
मलेशिया	दक्षिण कोरिया	न्यूजीलैंड
चिली	मर्कोसुर (MERCOSUR)	यूनाइटेड किंगडम
	श्रीलंका	संयुक्त राज्य अमेरिका
		मॉरीशस

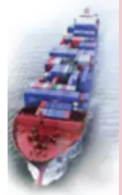

खुदरा कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार ने खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क में कटौती की

- उपभोक्ताओं हेतु उचित मूल्य पर खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु केंद्र सरकार ने **पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के कच्चे तेल पर मानक सीमा शुल्क दर घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दी है।**
  - भारत में खाद्य तेल की कीमतों में जारी अनियंत्रित वृद्धि के बीच यह कदम उठाया गया है।
- **खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण**
  - घरेलू कीमतों में बढ़ोत्तरी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप हुई है, क्योंकि भारत खाद्य तेल की अपनी **घरेलू मांग का 56 प्रतिशत, आयात** के माध्यम से पूरा करता है।
    - ❖ **मलेशिया** में कोविड–19 लॉकडाउन के परिणामस्वरूप **ताड़ (पाम)** की फसल में गिरावट आई है।
    - ❖ **यूक्रेन और रूस** में सूखे के कारण **सूरजमुखी** के तेल का उत्पादन प्रभावित हुआ है। परिणामस्वरूप, इसके वैश्विक उत्पादन में **वर्ष 2020 में 9% की गिरावट (वर्ष–दर–वर्ष)** दर्ज की गई थी।
    - ❖ ताड़ और सोया उत्पादक क्षेत्रों पर ला नीना का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
  - वनस्पति तेल से **जैव ईंधन** के उत्पादन पर बल दिया जा रहा है।
  - आय में वृद्धि और खानपान की आदतों में परिवर्तन हो रहा है।
- **किए गए उपाय**
  - आगामी पांच वर्षों में पाम ऑयल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन– ऑयल पाम (NMEO-OP)** आरंभ किया गया है।
  - वर्ष 2021 के खरीफ सत्र के लिए किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों का मुफ्त वितरण (मिनी किट के रूप में) करने हेतु केंद्र सरकार ने **तिलहन के लिए खरीफ रणनीति 2021** को स्वीकृति प्रदान की है।

VISIONIAS

बंध्याकरण के माध्यम से रोग वाहक मच्छरों को सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने के लिए क्रिस्पर (CRISPR) आधारित प्रणाली विकसित की गई है

- **नई 'सटीक–निर्देशित बंध्या कीट तकनीक'** (Precision-guided sterile insect technique: pgSIT) एडीज एजिप्टी प्रजाति के मच्छरों के जीन को परिवर्तित कर देती है। ज्ञातव्य है कि यह प्रजाति मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका आदि रोगों के प्रसार लिए उत्तरदायी है।
- pgSIT नर मच्छरों का **बंध्याकरण करने के लिए क्रिस्पर तकनीक का उपयोग** करती है और रोग प्रसारक मादा मच्छरों को **उड़ने में असमर्थ (Flightless) बनाती है।**
  - इस तकनीक को उन लक्षित स्थानों पर बंध्य नर और उड़ने में असमर्थ मादाओं के अंडों में अभिनियोजित करके कार्यान्वित किया जा सकता है, जहाँ मच्छर जनित रोगों का प्रसार हो रहा है।
- **आवश्यकता:** कीटनाशकों के प्रति **मच्छरों के बढ़ते प्रतिरोध** के साथ–साथ मलेरिया–रोधी दवाओं के प्रति मलेरिया परजीवी के प्रतिरोध ने भी इस रोग से निपटने के लिए नए विकल्पों की तत्काल आवश्यकता उत्पन्न कर दी है।
- **pgSIT की विशिष्टता**
  - pgSIT को अधिक सटीक (जीन संशोधन हेतु) और मापनीय तकनीक के रूप में अभिकल्पित किया गया है, क्योंकि यह विकिरण या रसायनों की बजाय **क्रिस्पर तकनीक का उपयोग** करती है।
  - **'जीन ड्राइव' के विपरीत,** pgSIT प्रणाली **आत्म–सीमित (Self-limiting) है** और इसका पर्यावरण में बने रहना या प्रसारित होना अनुमानित नहीं किया गया है।
  - **"जीन ड्राइव"** प्रणाली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनिश्चित काल के लिए वांछित आनुवंशिक परिवर्तनों को सक्षम बनाकर रोग वाहकों को नियंत्रित कर सकती है।
    - इस प्रकार, वैज्ञानिकों को आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों को वन में छोड़ने से पूर्व यह प्रमाणित करने की आवश्यकता थी कि यह प्रणाली सुरक्षित और प्रभावी है।

> - **क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर्स्पेस्ड शॉर्ट पालिंड्रोमिक रिपीट्स (CRISPR):**
>   - CRISPR/Cas9 लक्षित डी.एन.ए. को विधिपूर्वक काटकर/हटाकर और तत्पश्चात प्राकृतिक डी.एन.ए. मरम्मत प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए जीन एडिटिंग करता है।
>   - इस प्रणाली में दो भाग होते हैं: Cas9 एंजाइम और एक गाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड (RNA)।
>   - ध्यातव्य है कि क्रिस्पर तकनीक को हमलावर वायरस के विरुद्ध बैक्टीरिया और आर्किया (एककोशीय सूक्ष्म जीवों का डोमेन) के प्राकृतिक रक्षा तंत्र से अनुकूलित किया गया था।

अन्य सुर्खियाँ

 सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम {Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA)}, 1958	○ **असम** के राज्यपाल ने **AFSPA** के तहत राज्य के 'अशांत क्षेत्र' की स्थिति को और छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है। ➢ **AFSPA, सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में व्यवस्था पुनः स्थापित करने के लिए असाधारण शक्तियां और उन्मुक्तियां प्रदान करता है।** ○ **पूर्वोत्तर में, AFSPA लागू है:** असम, नागालैंड, मणिपुर (इंफाल नगर परिषद क्षेत्र को छोड़कर), अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लोंगडिंग और तिरप जिले तथा असम की सीमा से संलग्न अरुणाचल प्रदेश के आठ पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र।
 विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights: SDRs)	○ कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट से निपटने हेतु SDRs का अब तक का सर्वाधिक विशाल आवंटन (लगभग 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर) **प्रभावी हो गया है।** ○ यह **भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति को वर्धित करेगा और आयात अर्थव्यवस्था में सहायता** प्रदान करेगा। साथ ही, इससे **'विनिमय दर'** भी सुदृढ़ होगी। ○ SDR एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है। **इसे वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के अनुपूरण हेतु निर्मित किया गया था।** ○ इसका मूल्य पांच मुद्राओं की एक बास्केट पर आधारित है, जिसमें **अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रॅन्मिन्बी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग शामिल हैं।**
 बीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य	○ इस अभयारण्य से, **8 गंभीर रूप से संकटग्रस्त ओरिएंटल सफेद पीठ वाले गिद्धों** (Oriental white-backed vultures) को वन में छोड़ा गया है। यह भारत में इस प्रकार का प्रथम कदम है। ○ **बीर शिकारगाह के बारे में** ➢ यह पंचकुला, हरियाणा में अवस्थित है। ➢ इसमें **गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, पिंजौर** अवस्थित है। ➢ इसे **इको–सेंसिटिव जोन के रूप में भी नामित** किया गया है।
 अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) स्पेस चैलेंज 2021	○ **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड** (CBSE) के सहयोग से नीति आयोग के **अटल इनोवेशन मिशन ने संपूर्ण भारत में विद्यालयी छात्रों के लिए 'ATL स्पेस चैलेंज'** आरंभ किया है। ○ इसे **सभी विद्यालयी छात्रों, परामर्शदाताओं और शिक्षकों के लिए डिज़ाइन किया गया है।** इसमें ए.टी.एल. प्रयोगशालाओं सहित और ए.टी.एल. प्रयोगशालाओं से रहित विद्यालय भी शामिल हैं। ➢ यह सुनिश्चित करता है कि **कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को एक खुला मंच प्रदान किया जाए, जहां वे डिजिटल युग में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने के लिए** स्वयं को अद्यतित और सक्षम बना सकें।

VISIONIAS

 सारागढ़ी का युद्ध	❍ 12 सितंबर को **सारागढ़ी के युद्ध की 124वीं वर्षगांठ थी।** यह युद्ध **ब्रिटिश भारतीय सेना के सिख सैनिकों और उत्तर–पश्चिमी सीमा प्रांत में पश्तून ओरकजई आदिवासियों के बीच** लड़ा गया था। ➢ इक्कीस सैनिकों को **8,000 से अधिक अफरीदी और ओरकजई आदिवासियों** के विरुद्ध तैनात किया गया था, परन्तु उन्होंने मृत्यु का सामना करते हुए साहसपूर्वक युद्ध किया था। ❍ सारागढ़ी, उत्तर–पश्चिमी सीमा प्रांत की सुलेमान रेंज में फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान (जिसे फोर्ट कैवगनरी भी कहा जाता है) के मध्य एक संचार रिले पोस्ट था।
सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व **सुब्रमण्यम भारती (आधुनिक तमिल साहित्य के जनक**	**सुब्रमण्यम भारती (11 दिसंबर 1882 – 12 सितंबर 1921)** ❍ वह आधुनिक तमिल काव्य के अग्रदूत थे, जिन्हें **सम्मानपूर्वक महाकवि** कहा जाता था। ❍ **एट्टायपुरम के राजा ने उनकी कविता से प्रभावित होकर उन्हें 'भारती' की उपाधि प्रदान की थी,** जिसका अर्थ है देवी सरस्वती का आशीर्वाद। ❍ उन्हें तीन विदेशी भाषाओं सहित **14 भाषाओं में महारत हासिल थी।** ❍ उन्होंने **भारतीय नागरिकों के मध्य राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं को जागृत** करने के लिए अपने लेखन का उपयोग किया था। ❍ उन्होंने **बाल विवाह के विरुद्ध चिंता प्रकट की थी तथा ब्राह्मणवाद और धर्म में सुधार का समर्थन किया था।** वह दलितों और मुसलमानों के साथ भी एकजुटता में थे। ❍ उनका आदर्श वाक्य था "अरिवेलु थेलिवु" अर्थात् **मन की स्पष्टता।**

VISIONIAS

8468022022, 9019066066
www.visionias.in

/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चड़ीगढ गुवाहटी